सामुहिक अवकाश पर होने के कारण
पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 5/7/23
नियत की जाती हैं।

5/7/23 वकुलाय उपस्थ रेस्पो० सं. 2 ता 8 की ओर से जवाब/आपत्ति अपील प्रस्तुत नहीं की गई। बहस सुनी गयी। वकील रेस्पो० द्वारा दस्तावेज सूची के साथ फोटो प्रति दस्तावेज पेश किये गये। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17/07/2023 को पेश हो।

17/07/2023 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थ दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील के बिन्दुओ को दोहराते हुए विवादित नामान्तकरण सं. 128 ग्राम हसाम पुर को निरस्त करने का निवेदन किया। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण बाद जाँच भरकर तस्दीक किया गया है हम रेस्पोडेन्ट मृतक खातेदार के कानूनी वारिस है अपीलान्ट का विवादित भूमि से एवंम रेस्पोडेन्ट से किसी प्रकार का कोई संबंध नही है

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया पत्रावली एवंम विवादित नामान्तकरण

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सं. 128 ग्राम हसामपुर का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट कैलाश पुत्र रामजीलाल जाति अहीर का विवादित आराजी/नामान्तकरण से किसी किस्म का संबध होना नही पाया जाता है। अपीलान्ट द्वारा अपने अपील के तथ्यो को प्रमाणित करने के लिए कोई विधिक दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। ग्राम पंचायत हसामपुर द्वारा खातेदार सायर खाँ पुत्र धीसा खाँ की विरासत का नामान्तकरण उनके विधिक वारिसान के नाम से भरा जाकर तस्दीक किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामान्तकरण सं. 128 विधिवत् भरा जाना/तस्दीक किया जाना प्रमाणित होता है। अपीलान्ट उक्त नामान्तरण से कुब्ध कैसे हुआ प्रमाणित नही कर पाया।
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।
	निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।
	राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)